न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 2/2015 (निगरानी)

जीसीएमएस नं0 2015/00064

1. कमलेश उर्फ कमलकान्त
2. वंटी आत्मज हरिबल्लभ

जाति माली निवासीगण गन्दीफली तहसील लाडपुरा ग्राम पंचायत गन्दीफली पंचायत समिति लाडपुरा जिला कोटा

–निगराकार

बनाम

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (स्थायी पंचायत समिति) लाडपुरा जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत गन्दीफली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम गन्दीफली पंचायत समिति लाडपुरा जिला कोटा
3. तुलसीराम आत्मज नाथूलाल जाति माली निवासी गन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 बनाराजगी आदेश दिनांक 8.7.2015 विकास अधिकारी अनिता मीणा पंचायत समिति लाडपुरा एवं आदेश दिनांक 6.4.2015 श्रीमती सुनीता बाई सरपंच ग्राम पंचायत गन्दीफली अन्तर्गत प्रकरण कमलेश बनाम तुलसीराम

उपस्थित :–

1. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक निगराकार
2. श्री शशी प्रकाश सोरल, अभिभाषक गैर निगराकार

निर्णय

दिनांक 06.05.2024

1. निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत गन्दीफली के सम्मुख गेर निगराकार तुलसीराम द्वारा कायन हाउस की सरकारी जमीन पर कब्जा कर निगराकारान के मकान, बाडी व खलियान के आवागमन व लेण्ड अपरटीनेन्ट पर कब्जा करने की नियत से बार बार रिपोर्ट दी गयी व थाने पर भी रिपोर्ट दर्ज करायी थी, इस पर स्थायी व वर्तमान विकास अधिकारी कार्यालय लाडपुरा कोटा ने निगराकारान के पक्ष में आदेश प्रदान किये गये । वर्ष 2014 में पंचायत के नये चुनाव हो गये एवं वर्तमान सरपंच सुनीता बाई गोचर चुनी गयी जो पंचायत का सारा काम काज अपने जेठ हेमराज आत्मज लक्ष्मीनारायण के मार्फत संचालित करती है उसी पक्षकार के तहत दिनांक 20.3.2015 एवं 6.4.2015 के जरिये नोटिसनुमा आदेश निगराकारान के मकान के निमार्ण को तोडने की धमकी दी थी । उक्त आदेश के विरूद्व निगराकारान ने एक अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा को प्रस्तुत की थी जिसमें दिनांक 10.4.2015 को अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पर स्थगन आदेश प्रदान किया था इसी समय गेर निगराकार तुलसीराम ने अपने पिता नाथूलाल के नाम एक फर्जी पट्टा की प्रति पेश कर उक्त सरकारी भूमि पर निमार्ण कार्य प्रारम्भ कर दिया जिसके विरूद्व निगराकार ने एक लीगल नोटिस अन्तर्गत पंचायत एक्ट प्रेषित किया, बाद गुजरने

जिला कलेक्टर
कोटा

मियाद नोटिस उक्त पक्षकार के विरूद्व सिविल अधिकारों के हनन का वाद न्यायालय सिविल जज दक्षिण कोटा में पेश किया गया जिस पर सभी पक्षकारान की सुनवायी चल रही थी तभी दिनांक 7.7.2015 का विकास अधिकारी ने पंचायत प्रसार अधिकारी के जरिये एकतरफा रिपोर्ट मोका मुआयना, नजरी नक्शा मंगवा कर बिना सुनवायी के निगराकारान के पक्ष में जारी स्थगन आदेश दिनांक 10.4.2015 को निरस्त करते हुये प्रशासन एवं स्थापना समिति की कार्यवाही आदेश दिनंक 8.7.2015 से निगराकार की अपील खारिज कर दी ।

2. विकास अधिकारी के आदेश दिनांक 8.7.2015 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 13.07.2015 को पेश की है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगराकार नं0 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री शशि प्रकाश सोरल का एवं गैर निगराकार नं0 3 की ओर ललित शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ । निगराकार एवं गैर निगराकार नं0 1 व 2 के अभिभाषक उपस्थित । गैर निगराकार नं0 3 अनुपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी ।

3. वकील निगराकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि गैर निगराकार को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर निमार्ण करने का कोई अधिकार नहीं है और उसकी आड में गैर निगराकार नं0 3 ने फर्जी पट्टा बनाकर पेश कर दिया जिस पर विश्वास कर निगराकार के पक्ष में जारी स्थगन आदेश निरस्त करते हुए अपील खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय में विवाद जेरकार है इसके बावजूद भी विकास अधिकारी ने पंचायत प्रसार अधिकारी के जरिये एक तरफा रिपोर्ट मोका मुआयना, नजरी नक्शा मंगवा कर बिना सुनवायी के निगराकारान के पक्ष में जारी स्थगन आदेश दिनांक 10.4.2015 को निरस्त करते हुये प्रशासन एवं स्थापना समिति की कार्यवाही आदेश दिनांक 8.7.2015 पर निगराकार की अपील खाजिर करने में त्रुटि की है जबकि पक्षकारान को बुलाकर मोका मुआयना करना चाहिये था व रिपोर्ट बनाना चाहिये था किन्तु ऐसा न कर गैर निगराकार नं0 3 को राजनीति लाभ देने की नियत से आदेश दिनांक 8.7.2015 पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.4.2015 को सही रूप से स्थगन आदेश पारित किया है क्योंकि गैर निगराकार ने तथाकथित फर्जी पट्टे की आड में कायन हाउस की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान का निमार्ण करवा रहा है इस कारण गैर सायलान के पट्टे पर विश्वास कर निगराकार के स्थगन आदेश को निरस्त करते हुये अपील खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील निगराकार स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पट्टा व दिनांक 8.7.2015 तथा ग्राम पंचायत गन्दीफली द्वारा पारित आदेश/नोटिस दिनांक 6.4.2015 निरस्त फरमाया जावें ।

4. वकील गैर निगराकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि निगराकार कमलेश उर्फ कमलकान्त एवं बन्टी के द्वारा तुलसीराम के मकान में आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया था, तुलसीराम के आवेदन पर निगराकार को नोटिस जारी किया गया था जिसके विरूद्व विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा में अपील पेश करने पर अपील में दिनांक 10.4.2015 को अस्थाई स्थगन जारी किया गया था किन्तु पंचायत प्रसार अधिकारी की मौका मुआइना रिपोर्ट के आधार पर कमेटी में विचार विमर्श कर स्टे खारिज किया जाकर ग्राम पंचायत गन्दीफली का फैसला बहाल किया गया है । इस सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में सिविल वाद विचाराधीन था जो निर्णित हो चुका है । चूंकि गैर निगराकार नं0 3 के पास

जिला कलेक्टर
कोटा

पट्टा है, उनके मकान में जाने के रास्ते को निगराकार द्वारा बन्द कर दिया जाने से ग्राम पंचायत व पंचायत समिति द्वारा रास्ता खुलासा कराने गैर निगराकार नं0 3 तुलसीराम को आने जाने के लिए 6 फिट का रास्ता देने हेतु आदेश दिनांक 6.4.2015 से दिया गया है, जिसे प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा पूर्व के स्थगन को दिनांक 8.7.2015 से खारिज करते हुए ग्राम पंचायत के पूर्व आदेश दिनांक 6.4.2015 को बहाल किया है । चूंकि निगराकार द्वारा गाम पंचायत की भूमि पर नाजायज कब्जा कर गैर निगराकार को आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध किया जाने से रास्ता खुलासा कराने का आदेश दिया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, उस आदेश के विरूद्व किसी न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है तथा सिविल वाद भी निस्तारित हो चुका है । निगराकार की निगरानी सारहीन होने से निरस्त फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम पंचायत गन्दीफली में गैर निगराकार के पास पट्टाशुदा मकान में आने जाने के रास्ते को निगराकार द्वारा अवरूद्व कर दिया गया था, ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता खुलासा कराने व 6 फीट का गैर निगराकार तुलसीराम को आने जाने के लिए रास्ता दिये जाने के आदेश दिये है, उक्त आदेश के विरूद्व पूर्व मे विकास अधिकारी लाडपुरा के पास अपील प्रस्तुत होने पर विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 10.4.2015 से जारी स्थगन आदेश को पुनः मौका स्थति की रिपोर्ट मंगवाई जाकर निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 6.4.2015 को बहाल रखते हुए गैर निगराकार को आने जाने का रास्ता उपलब्ध कराने के आदेश दिये है, इसमे हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते है । उक्त विवाद के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में दीवानी वाद विचाराधीन था जिसमें स्थगन प्रार्थना खारिज हो चुका है तथा सिविल सूट विचाराधीन होना जाहिर आया है । इस प्रकार हम यह पाते है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन होने से इस निगरानी के जरिये चाहा गया अनुतोश दिया जाना संभव नहीं है । अन्तिम निर्णय सिविल न्यायालय से होना है । अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

6. परिणामस्वरूप निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 6.4.2015 एवं प्रशासन एवं स्थापना समिति के निर्णय दिनांक 8.7.2015 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

7. निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा